

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14()2018/सवाई माधोपुर रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/ 328

दिनांक 06-02-24

विशेषाधिकारी,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.20 ha of forest land in favour of Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon(0/0 to 4/750 km), District- Sawai Madhopur (Rajasthan) (प्रस्ताव सं. FP/RJ/ ROAD/35614/2018)

संदर्भ:- राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प. 1(19)वन/2020 दि. 03.06.2020

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी आक्षेप मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर के पत्रांक 482 दिनांक 29.01.2024 से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.सं.	आक्षेप	सूचना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प न ही लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प न ही लगाया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी है, जो संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/कैरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/कैरोसिन तेल आपूर्ति नहीं की जायेगी। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी गयी है जो संलग्न है।

7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।									
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।									
9	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किसे जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (online submission & monitoring of forest & wildlife clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए धनराशि 1,99,482/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (online submission & monitoring of forest & wildlife clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 31.03.2023 को जमा करवा दिए गए हैं।									
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी ई-चालान की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक चालान/ यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाये तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 1,91,556/- रुपये दिनांक 31.03.2023 को ई-चालान द्वारा CAMPA FUND में जमा करवा दी गई है। <table> <tr> <td>CA</td><td>-</td><td>199482/-</td></tr> <tr> <td>NPV</td><td>-</td><td>191556/-</td></tr> <tr> <td>Total</td><td></td><td>391038/-</td></tr> </table>	CA	-	199482/-	NPV	-	191556/-	Total		391038/-
CA	-	199482/-									
NPV	-	191556/-									
Total		391038/-									
	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है जो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता संलग्न कर दी गयी है।									

12	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
13	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012 / एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	समाचार पत्र की प्रति संलग्न कर दी गई है।

संलग्न- उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha
(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14()2013/सवाई माधोपुर रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/
प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक भरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

दिनांक

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area;
NPV : Net Present Value;

- : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
 : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
 : This icon shows that the payment yet to be made.
 : This icon shows that the challan has been generated.
 : This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :
 Select User Agency :
 Payment Status : ☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All
 Bank Name : Mode of Payment :
 Transaction Date (From) : Transaction Date (To) :
 Enter value for Search :

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/35614/2018 (./viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/35614/2018) Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km), District- Sawai Madhopur, Raj.	ROAD356142018674	03-Jun-2020	CA: 199482/- Addl CA : 0/- PCA: 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 191556/- Total : 391038/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 31 Mar 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 25 May 2023 Transaction Date 14 Jun 2023	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/310320231148051932_FPRJROAD356142018_User_Fund_Demanded_2V98) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD356142018674)



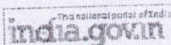
(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



Meity

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-1c(at)nic(dot)in

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने, केन्द्रीय पौधशाला, भरतपुर - 321001 (राज.)
फोन : 05644-226017, 227518 ई-मेल : ccf.bhp.forest@rajasthan.gov.in

दिनांक 29.01.2024

क्रमांक एफ () 2021-22/एफसीए/मुवसम/
निमित्त,

482

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, राज. जयपुर।

विषय :- Diversion of 0.20 hac. forest land for the Renewal of Road from Chouth
ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km), District - Sawaimadhopur.
{Proposal No. - FP/RJ/ROAD/35614/2018}

संदर्भ:- शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक
स्वीकृति पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03.06.2020 एवं उप वन संरक्षक,
सवाई माधोपुर का पत्रांक एफ () सर्वे/उवसं/2023-24/378 दिनांक 29.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में शासन सचिव
राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03.06.2020 से सशर्त
सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी अनुपालना रिपोर्ट यूजर एजेन्सी से प्राप्त कर उप वन
संरक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की है :-

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (Annexure-1)
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (Annexure-2)
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें

20/1/24

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
		प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (Annexure-3)
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें।	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (Annexure-4)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (Annexure-5)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (Annexure-6)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (Annexure-7)
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (Annexure-8)

Signature

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
9	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये धनराशि 1,99,482/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 31.03.2023 को जमा करवा दिए गए हैं। (Annexure-9)
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 1,91,556/- रुपये दिनांक 31.03.2023 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। (Annexure-9)
11.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (Annexure-10)
12.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (Annexure-11)

Signature

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
13.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। (Annexure-12)

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट तीन हार्ड प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तनुसार।

भवदीय


(डॉ. टी. मोहनराज)
मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

क्रमांक एफ () 2023-24/एफसीए/मुवसभ/
प्रतिलिपी :- उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक

मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर



कार्यालय उप वन संरक्षक सवाई माधोपुर

आलनपुर नर्सरी, सवाई माधोपुर (राज0)-322001, 07462-235403
Email id- dcf.swmdpr.forest@rajasthan.gov.in

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक :- एफ () सर्वे/उवसं/2023-24 / 378

दिनांक :- 29/01/24

श्रीमान मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर।

विषय:- Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

संदर्भ:- शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1(19) वन/2020 दिनांक 03.06.2020, कार्यालय अधिषाशी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर के पत्रांक 1117-20 दिनांक 10.08.2023 एवं आपके पत्र क्रमांक 437 दिनांक 25.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03.06.2020 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर कार्यालय अधिषाशी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर के पत्रांक 1117-20 दिनांक 10.08.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है जो आपको सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आनैलाईन प्रस्ताव संख्या :- FP/RJ/ROAD/35614/2018

क्र.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। (Annexure-1)
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। (Annexure-2)
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। (Annexure-3)
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। (Annexure-4)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। (Annexure-5)

6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। (Annexure-6)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। (Annexure-7)
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। (Annexure-8)
9	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये धनराशि 1,99,482/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 31.03.2023 को जमा करवा दिए गए हैं। (Annexure-9)
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 1,91,556/- रुपये दिनांक 31.03.2023 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। (Annexure-9)

11	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है। (Annexure-10)
12	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। (Annexure-11)
13	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। (Annexure-12)


 (श्रवण कुमार रेड्डी) IFS
 उप वन संरक्षक
 सवाई माधोपुर

क्रमांक :- एफ () सर्वे/उवसं/2023-24 /

प्रतिलिपि: श्रीमान अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी एफसीए, राज० जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक :-

\\\
 उप वन संरक्षक
 सवाई माधोपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018/ 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

श्रीमान उप वन संरक्षक,
सवाई माधोपुर,
राजस्थान।

विषय :- Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

संदर्भ:- शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 एवं आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक:- एफ () एफसीए/उवसं/2022-23/ दिनांक:- 10.02.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

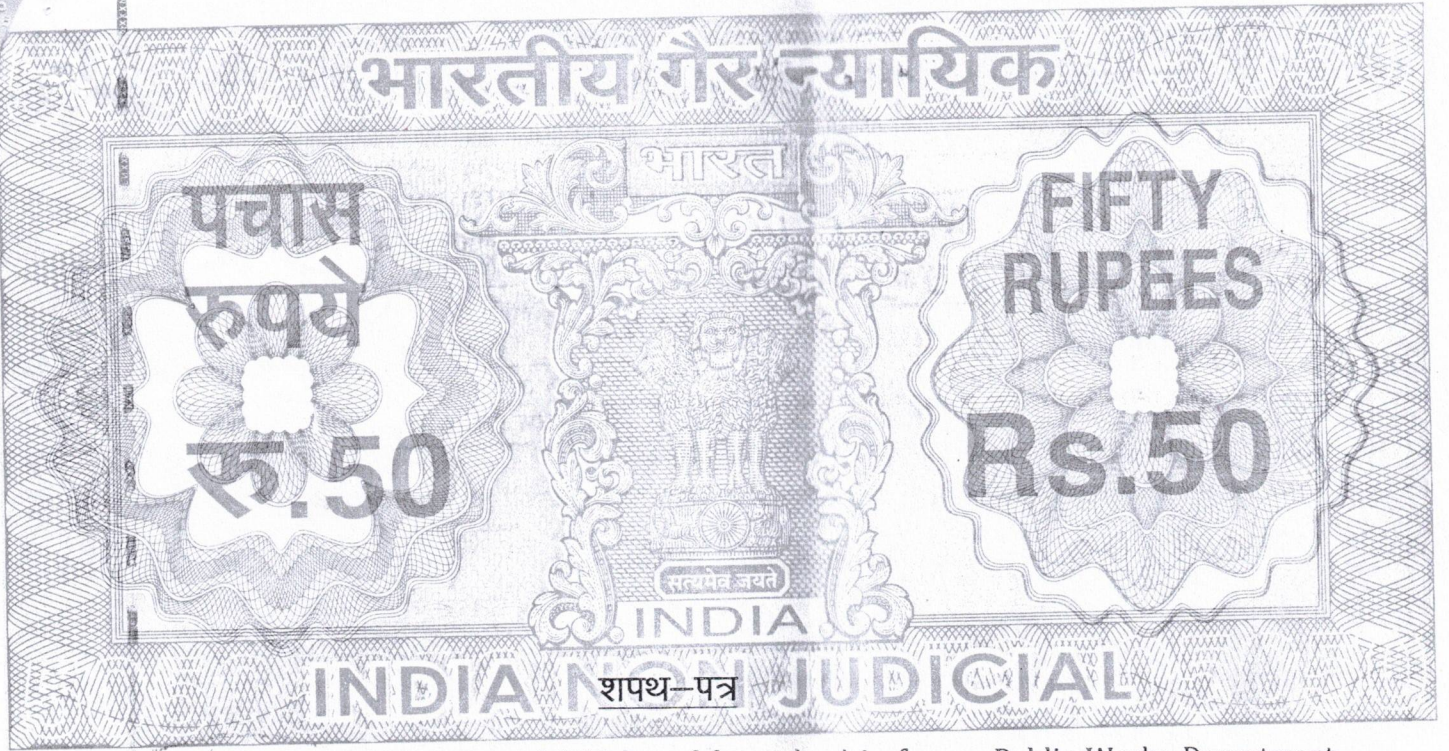
ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :- FP/RJ/ROAD/35614/2018

क्र.स.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक

	में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 10.02.2023 को जमा करवा दिए गए हैं। प्रतिलिपी संलग्न है।	रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये धनराशि 1,99,482/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 10.02.2023 को जमा करवा दिए गए हैं। प्रतिलिपी संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 1,91,556/- रुपये दिनांक 10.02.2023 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
12.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
13.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(आर.सी.सीना)
अधिसूचना अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड, जिला सा.नि.वि. खण्ड
सा.नि.वि. खण्ड, जिला सा.नि.वि. खण्ड
सा.नि.वि. खण्ड, जिला सा.नि.वि. खण्ड



Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department
राजस्थान RAJASTHAN
Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750

km.), District: Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

में आर.सी. मीना शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि—

1. यह है कि मिकर एवं भारतीय नागरिक है।
2. यह कि मिकर सार्वजनिक निर्माण विभाग, सवाई माधोपुर का अंटानी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
10. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
11. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
12. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
13. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(आर.सी.मीना)
अधिष्ठापी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड 1 सा.मधोपुरा
सा.नि.वि. खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)
Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018
Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(आर.सी.मोना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड-1, स.माधोपुर
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर


श्रवण कुमार रेड्डी, IFS
उप वन संरक्षक
सवाई माधोपुर (राजस्थान)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)
Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018
Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(आर.सी.मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-11 स. माधोपुर
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर


श्रवण कुमार रेड्डी, IFS
उप वन संरक्षक
सवाई माधोपुर (राजस्थान)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(आर.सी.मोना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-1, स.माधोपुर
सा.नि.वि.खण्ड-1, स.माधोपुर

श्रवण कुमार रेड्डी, IFS
उप वन संरक्षक
सवाई माधोपुर (राजस्थान)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)
Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(आर.सी.भोना)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड-1 स.माधोपुर
सा.नि.वि.खण्ड-1 स.माधोपुर


श्रवण कुमार रेड्डी, IFS
उप वन संरक्षक
सवाई माधोपुर (राजस्थान)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)
Proposal No: - FP/RJ/ROAD/ 35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(आर.सी.मोना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड- स माधोपुर
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर


श्रवण कुमार रेड्डी, IFS
उप वन संरक्षक
सवाई माधोपुर (राजस्थान)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/ 35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(आर.सी.मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर


श्रवण कुमार रेड्डी, IFS
उप वन संरक्षक
सवाई माधोपुर (राजस्थान)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(आर.सी.मीना)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड - II स.माधोपुर
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

श्रवण कुमार रेड्डी, IFS
उप वन संरक्षक
सवाई माधोपुर (राजस्थान)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(आर.सी.मीना)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-11 स.माधोपुर
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर


श्रवण कुमार रेड्डी, IFS
उप वन संरक्षक
सवाई माधोपुर (राजस्थान)

Treasury Vouchers (Last 15 Records)

Sno	RefNo	BillDate	BillNo/GRNNo	BillType	Budget Head	GrossAmt	VendorName	NetAmt	TVNo/ChallanNo	TVDate	When Updated From PayManager
1.	545625		78077505	Remittances	3054-04-800-02-01-21-V-P	96970			2428743	13-06-2023	
2.	545593		78077505	Remittances	8443-00-108-00-00	81860			2429026	13-06-2023	
3.	545568		78077505	Remittances	8443-00-108-00-00	81860			2428917	13-06-2023	
4.	545567		78077505	Remittances	5054-04-796-06-17-74-V-P	96970			2425523	13-06-2023	
5.	545560		78077505	Remittances	5054-04-796-06-17-74-V-P	109925			2426455	13-06-2023	
6.	545175				3054-04-800-02-01-21-V-P	391038	RAJASTHAN CAMPA	391038	15427	14-06-2023	
7.	544818				8443-00-108-00-00	10925	Prem Construction Co	10925	15387	14-06-2023	
8.	544817				8443-00-108-00-00	66785	Prem Construction Co	66785	15388	14-06-2023	
9.	544704				5054-04-796-06-17-74-V-P	349261	MS PRABHU DAYAL MEENA	251121	15408	14-06-2023	
10.	544703				5054-04-789-04-17-74-V-P	456727	MS PRABHU DAYAL MEENA	328386	15407	14-06-2023	
11.	544563				5054-04-800-14-90-74-V-P	339000	BALAJI STEEL INDUSTRIES	109968	15409	14-06-2023	
12.	544562				5054-04-800-14-90-74-V-P	565000	BALAJI STEEL INDUSTRIES	183281	15409	14-06-2023	
13.	544561				5054-04-789-06-90-74-V-P	168500	BALAJI STEEL INDUSTRIES	54994	15487	14-06-2023	
14.	544560				5054-04-796-08-90-74-V-P	734500	BALAJI STEEL INDUSTRIES	238265	15486	14-06-2023	
15.	543121				5054-04-796-18-90-74-V-P	299112	M/s Rajesh Engineering Consultants	188996	15211	13-06-2023	
16.	543120				5054-04-789-15-90-74-V-P	391187	M/s Rajesh Engineering Consultants	190023	15210	13-06-2023	
17.	542629			Remittances		110000			3373501	13-06-2023	
18.	542628			Remittances		91000			318119	13-06-2023	
19.	542627			Remittances		90073			317119	13-06-2023	
20.	542626			Remittances		11000			316119	13-06-2023	

जारी की गई है
भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
Issuing Branch (SAVER) NIAHUPUR COLLECTORATE
कोड नं. (CODE No. 31826)
पिन नं. (PIN No. 01462-220403)

बैंकर्स चेक
BANKERS CHEQUE

Key YHMAV
Sr. No. 169428

3	1	0	3	2	2	0	2	3
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	Y

UP VAN SANRAXAK SWM

DATE

का या उनके अदेश पर

OR ORDER

Nine Thousand Only

रुपये RUPEES

9000.00

₹

अदा करें

ICR 000540735808

Key YHMAV Sr. No. 169428

AMOUNT BELOW 9000.00

Name of Applicant

SEI

प्रमुख अधिकारी
AUTHORIZED SIGNATORY

31/05/2016 10:00 AM

ब्रान्च मैनेजर
BRANCH MANAGER

150000.00 से अधिक के निष्ठा में प्रमाणित प्रत्येक सांचे पर 12.5 बी.पी.
INSTRUMENTS FOR 150000.00 ABOVE ARE TO BE USED BY BANKERS

संश्लेषण के लिए प्रयोग करने के लिए
FOR USE ONLY FOR COMPLETION ONLY

NANDES MEENA

Deputy Manager

Dist. No. 11-0773

⑈ 735608⑈ 000002000⑈ 000540⑈ 16

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(आर.सी.मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर


श्रवण कुमार रेड्डी, IFS
रूप वन संरक्षक
सवाई माधोपुर (राजस्थान)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018/ 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/ 35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-12 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (12) की अनुपालना में सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(आर.सी.मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-सा.माधोपुर
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर


श्रवण कुमार रेड्डी, IFS
उप वन संरक्षक
सवाई माधोपुर (राजस्थान)

The 1990s have been a decade of change for the U.S. economy, and the U.S. economy has been a major force in the world economy. The U.S. economy has been a major force in the world economy, and the U.S. economy has been a major force in the world economy.

[illegible]

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018/1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-13 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (13) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(आर.सी.मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-1 स. माधोपुर
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर


श्रवण कुमार रेड्डी, IFS
उप वन संरक्षक
सवाई माधोपुर (राजस्थान)

FORM-1
(For Liner Projects)
Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, SAWAI MADHOPUR

No. 931

Date 16/8/19

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) date 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on Submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ("FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.20 Hect. of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D for Road from Renewal of Road from Chouth Ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km) District - Sawai Madhopur within the Jurisdiction of 1 Village in Tehsil Chauth Ka Barwara.

It is further certified that :-

- A. It is certified that the complete process for diversion and settlement of Rights under the Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 carried out for the entire forest area 0.20 Hect. (RF area 0.20 Hect.) proposed for diversion of Road from Renewal of Road from Chouth Ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km) District - Sawai Madhopur in the State of Rajasthan.
- B. No such primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities dwell on the forest Land proposed for diversion and whose Forest Rights are required to be safeguarded as per section 3(1)(e) of the Forest Rights Act, 2006.
- C. No such facilities managed by Government required diversion of forest land u/s 3(2) of the Forest Rights Act, 2006 have been proposed over the forest land proposed for diversion.

No. 831

District Collector
Sawai Madhopur

Date 16/8/19

Copy Forwarded to :- Executive Engineer PWD Dn. II Sawai Madhopur connection of their letter no. 1718..... dated 12/7/19 for N/A.

District Collector
Sawai Madhopur

आज दिनांक 13.08.2019 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति सवाई माधोपुर की आहूत बैठक के दौरान उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति चौथ का बरवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/अनापत्ति/बैठक कार्यवाही विवरण पत्रांको एवं संलग्न अधीनस्थ ग्राम वनाधिकार समिति ग्राम चौथ का बरवाडा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के प्रस्ताव पत्र/अनापत्ति/बैठक कार्यवाही विवरण पत्रो के अनुसार सवाई माधोपुर रिनिवल ऑफ रोड फ़्रोम चौथ का बरवाडा से नयागॉव किमी 0/0 दू 4/750 के निर्माण हेतु जिला सवाई माधोपुर के वनक्षेत्र रकबा 0.20 हैक्टेयर वन भूमियों में से होकर गुजरने वाली सडक के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति चौथ का बरवाडा द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय समिति को वास्ते अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

इसमें दर्ज विवरण (निम्नानुसार खसरा संख्या) के अनुसार वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानुसार वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है। तथा जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को रिनिवल ऑफ रोड फ़्रोम चौथ का बरवाडा से नयागॉव किमी 0/0 दू 4/750 के निर्माण में कोई आपत्ति नहीं है।

क्र.स.	ग्राम	खसरा सं.	ग्राम पंचायत	डायवर्जन के लिये वांछित भूमि (हैक्टीयर)
1.	चौथ का बरवाडा	742,743,744,752, 753,754,1063,1064	चौथ का बरवाडा	0.20 हैक्टीयर
		कुल रकबा		0.20 है.


उपवन संरक्षक
सवाई माधोपुर
(सदस्य)


जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर
(अध्यक्ष)

आज दिनांक 18.06.2019 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति सवाई माधोपुर की आहूत बैठक के दौरान क्रमशः ग्राम सभा स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम चौथ का बरवाडा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा पंचायत समिति चौथ का बरवाडा द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संलग्न अधीनस्थ ग्राम सभा स्तरीय वनाधिकार समितियों से जारी प्रस्ताव पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार रिनिवल ऑफ रोड फ्रॉम चौथ का बरवाडा से नयागाँव किमी 0/0 टू 4/750 के निर्माण हेतु आने वाले वाली वनक्षेत्र भूमियों पर वनाधिकार अधिनियम के तहत किन्हीं पक्षकारान का कोई दावा लम्बित नहीं होना जाहिर आया है।

अतः एवं उपरोक्त समितियों द्वारा लिये गये प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव एवं अनापत्ति पत्रों का अनुमोदन किया जाकर जिला स्तरीय वनाधिकारी समिति को वास्ते अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। इसमें दर्ज विवरण (निम्नानुसार खसरा संख्या) के अनुसार वन भूमि पर भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय के दिशा निर्देश पत्र दिनांक 03.08.2009 के अनुसार अधिनियम की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है को रिनिवल ऑफ रोड फ्रॉम चौथ का बरवाडा से नयागाँव किमी 0/0 टू 4/750 के निर्माण को उक्त क्षेत्र से निकालने में कोई आपत्ति नहीं है।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा सं.	ग्राम पंचायत	डायवर्जन के लिये वांछित भूमि (हैक्टीयर)
1.	चौथ का बरवाडा	742,743,744,752,753,754,1063,1064	चौथ का बरवाडा	0.20 हैक्टीयर
कुल रकबा				0.20 है.

नोट - वन अधिकार विभाग तक

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाडा

विकास अधिकारी
पं.सं. चौथ का बरवाडा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सवाई माधोपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा

पंचायत समिति चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर (राज.)

सरपंच ग्राम पंचायत :- चौथ का बरवाडा, पंचायत समिति :- चौथ का बरवाडा	प्रेषिती : श्रीमान अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड-द्वितीय स.मा.
--	---

दिनांक :- 10-6-19

प्रस्ताव नकल प्रस्ताव संख्या 011

ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम चौथ का बरवाडा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में दर्ज विवरण (निम्नानुसार खसरा संख्या) के अनुसार वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित एवं प्रक्रियाधीन नहीं है तथा वनाधिकार समिति को रिनिवल ऑफ रोड फ्रॉम चौथ का बरवाडा से नयागाँव किमी 0/0 टू 4/750 का निर्माण किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया गया है।

क्र.स.	ग्राम	खसरा सं.	ग्राम पंचायत	डायवर्जन के लिये वांछित भूमि (हैक्टीयर)
1.	चौथ का बरवाडा	742,743,744,752, 753,754,1063,1064	चौथ का बरवाडा	0.20 हैक्टीयर
कुल रकबा				0.20 है.

सरपंच
ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा
(स.मा.)
पंचायत समिति चौथ का बरवाडा